न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : मुक्तानन्द अग्रवाल, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 80/2019 (Bank Case)

- सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा आई.आई.ए. कोटा (राज0)

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

1. मैसर्स जयन्त फूड्स
2. श्रीमति ममता जैन प्रोपराईटर
   फर्म पता–जी–1/96, एग्रो फूड पार्क, रानपुर, जिला कोटा (राज0)
3. श्री मनोज कुमार जैन पुत्र श्री राजमल जैन
   पता–46, पार्श्वनाथ एनक्लेव, कुन्हाडी, कोटा (राज0)

––(ऋणी/प्रोपरईटर)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित

श्री अमरसिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 02.07..2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा आई.आई.ए. कोटा (राज0) से अप्रार्थी ने दिनांक 24.08.2016 को रूपये 1,82,50,000/– (अक्षरेः रूपये एक करोड़ बयांसी लाख, पचास हजार मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थी /प्रोपराईटर सं0 02 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति औद्योगिक सम्पत्ति प्लॉट नं. जी–1/96, एग्रो फूड पार्क, रानपुर, कोटा (राज.) में स्थित है , जिसका क्षैत्रफल 1000 वर्गमीटर है जो कि मैसर्स जयन्त फूड्स प्रोपराईटर श्रीमति ममता जैन के नाम से है जिसकी चारों दिशाऐं उत्तर–प्लॉट नं0 जी–1/95, दक्षिण–प्लॉट नं0 जी–1/97, पूर्व–रोड, पश्चिम–प्लॉट नं0जी–1/101, जिसका आवंटन पत्र रिको द्वारा कमांक/6541 दिनांक 16.9.05 से जारीसुदा है, जिसकी लीजडीड का पंजीयन उप पंजीयक मण्डाना में दिनांक 31.1.2006 को किया गया है, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 27.02.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 1,82,43,416/– (अक्षरे रूपये एक करोड़, बयांसी लाख, तियांलिस हजार, चार सौ सौलह मात्र) बकाया रकम दिनांक 01.03.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 01.03.2019 को जारी नोटिस दिनांक 02.03.2019 को व्यक्तिगत तामिल होने बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही सम्भलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान नहीं करने **प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 01.03.2019 को जारी नोटिस दिनांक 02.03.2019 को व्यक्तिगत तामिल होने बावजूद** ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। **प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 01.03.2019 को जारी नोटिस दिनांक 02.03.2019 को व्यक्तिगत तामिल होने बावजूद** भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता मे मे मे **अचल सम्पत्ति औद्योगिक सम्पत्ति प्लॉट नं. जी–1/96, एग्रो फूड पार्क, रानपुर, कोटा (राज.) में स्थित है , जिसका क्षैत्रफल 1000 वर्गमीटर है जो कि मैसर्स जयन्त फूड्स प्रोपराईटर श्रीमति ममता जैन के नाम से है जिसकी चारों दिशाऐं उत्तर–प्लॉट नं0 जी–1/95, दक्षिण–प्लॉट नं0 जी–1/97, पूर्व–रोड, पश्चिम–प्लॉट नं0जी–1/101, जिसका आवंटन पत्र रिको द्वारा कमांक/6541 दिनांक 16.9.05 से जारीसुदा है, जिसकी लीजडीड का पंजीयन उप पंजीयक मण्डाना में दिनांक 31.1.2006 को किया गया है,**का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 02.07.2019 को सुनाया गया ।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner